महत्वपूर्ण / फैक्स

संख्या : 1158/1-10-2015-14(15)/2009

प्रेषक,

आलोक रंजन

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी

सिद्धार्थनगर, गोण्डा, सीतापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, मथुरा, सम्भल, महराजगंज, सहारनपुर, बहराइच, रामपुर तथा संत कबीरनगर

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक : 24 नवम्बर, 2015

विषयः वर्ष–2013 की बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि वर्ष 2013 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रथम किश्त की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। सम्बन्धित जिलाधिकारीगण को विभिन्न तिथियों में इस आशय का पत्र भी प्रेषित किया गया था कि द्वितीय किश्त की धनराशि की मांग समयान्तर्गत कर ली जाय अन्यथा भविष्य में धनराशि स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं होगा। अद्यतन स्थिति यह है कि जनपद सिद्धार्थनगर, गोण्डा, सीतापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, मथुरा, सम्भल, महराजगंज, सहारनपुर, बहराइच, रामपुर तथा संत कबीरनगर से समय से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, सिंचाई तथा लोक निर्माण विभाग की लगभग रू0 32.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत नहीं की जा सकी।

2– अग्रेत्तर प्रदेश में माह फरवरी/मार्च, 2015 में चक्रवाती तूफान के फलस्वरूप ओलावृष्टि/अतिवृष्टि होने से विभिन्न तिथियों में कृषि फसलों को व्यापक क्षति हुई। राज्य आपदा मोचक निधि की लगभग समस्त धनराशि ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिये कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु स्वीकृत की जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के नवीनतम आदेश दिनांक 08.04.2015 द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि स्वीकृत किये जाने के लिये मानक/दरों का पुनः निर्धारण किया गया है जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी है जिसे सभी जिलाधिकारीगण को पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है। भारत सरकार के उक्त आदेश में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार मानक निर्धारित किया गया है :–

प्रस्तर–10: सड़कें एवं पुल, पीने के पानी के सप्लाई का कार्य, सिंचाई, विद्युत केवल सीमित एवं तात्कालिक प्रकृति के लिये प्रभावी क्षेत्रों में बिजली सप्लाई हेतु, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायतों से सम्बन्धित सामुदायिक केन्द्र क्षति के लिये तात्कालिक प्रकृति के कार्यो हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी। यह उल्लेख करना है कि उक्त कार्यो का विस्तृत विवरण भारत सरकार के आदेश के साथ संलग्नक के रूप में दिया गया है जिसमें मानदण्ड के अनुसार किसी भी विभाग के कार्य के लिये अधिकतम 02.00 लाख तक की धनराशि ही निर्धारित की गयी है। उक्त के अतिरिक्त मरम्मत से सम्बन्धित अधिकांश कार्यों को राज्य आपदा मोचक निधि से आच्छादित नहीं किया गया है।

GENERAL G.O. FROM JUNE 15 134

3— राज्य स्तरीय दैवी आपदा राहत समिति की दिनांक 29.10.2015 की बैठक में यह प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा निर्णित अंश निम्नवत् है :—

"राज्य आपदा मोचक निधि में सीमित धनराशि उपलब्ध होने तथा भारत सरकार के आदेश दिनांक 08.04.2015 में उल्लिखित नवीनतम मानक के आलोक में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि दिया जाना सम्भव न होने के तथ्य का संज्ञान लेते हुये समिति द्वारा आदेश प्रदान किये गये हैं कि सम्बन्धित जिलाधिकारीगण को यह निर्देशित कर दिया जाय कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवशेष कार्यों जो उनके नहीं होते हैं और मूल विभाग के निक्षेप कार्य (Deposit Work) कराते हैं, उन्हें मूल विभाग को स्थानान्तरित कर दें और वह विभाग उस कार्य को यथावश्यकता अपने विभागीय बजट में व्यवस्था कराकर पूर्ण कराये। इस आशय का निर्देश सभी सम्बन्धित को दे दिया जाय।"

4— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013 की बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना सम्बन्धी अवशेष कार्यों को यथावश्यकता समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार पूर्ण कराने का कष्ट करें।

5— कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पंचायती राज, गन्ना विकास, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3— प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन।
5— राजस्व अनुभाग—11/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

GENERAL G.O. FROM JUNE 15 (54)